नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर

प्रेस–विज्ञप्ति

आज दिनांक–11.01.2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदया द्वारा नौएडा प्राधिकरण की टीम के साथ नौएडा के विभिन्न क्षेत्रों को भ्रमण किया गया तथा सिविल कार्यों का निरीक्षण किया गया। नौएडा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, सफाई, सौन्दर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की गई तथा कार्यों में तीव्रता लाने एवं गुणवत्ता सम्बन्धी निर्देश दिये गये। स्वच्छ सर्वेक्षण में नौएडा प्राधिकरण को न0–1 बनाने के उद्देश्य से नौएडा में स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण किया गया।

सैक्टर–5 स्थित भूमिगत पार्किंग का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर विभिन्न गाड़ियाँ काफी लम्बे समय से खड़ी पाई गईं, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि वाहनस्वामी को सूचित कर गाड़ियों को तत्काल हटवाया जाये अथवा उक्त वाहन स्वामी से रात्रि में भी गाड़ी खड़े करने हेतु शुल्क वसूला जाये। इसके अतिरिक्त पार्किंग के अन्दर एवं बाहर अवैध रूप से पार्क किये गये वाहनों को सीज़ किये जाने एवं सम्बन्धित स्टाफ एवं अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

भ्रमण के दौरान जोनल रोड नं0 5 पर सैक्टर–2 फायर स्टेशन के सामने मुख्य नाले, जोनल रोड सं0 8 पर सैक्टर–11 में डी–161 के साथ नाले, सैक्टर–22 व 23 के मध्य मार्ग पर समरविला स्कूल के साथ सिंचाई नाले का निरीक्षण किया गया। नालों के अन्दर काफी मात्रा में पॉलीथीन इत्यादि कचरा पाया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि नालों की नियमित सफाई नहीं की जा रही थी तथा संविदाकार द्वारा नालों का अनुरक्षण समुचित प्रकार नहीं किया जा रहा था। इस पर महोदया द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा उक्त नाले को तत्काल साफ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही संविदाकारों पर खराब अनुरक्षण हेतु रू0 20–20 लाख की पेनल्टी लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदया द्वारा ग्राम हाजीपुर का भ्रमण कर रोड/नाली/सीवर इत्यादि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकतर ड्रेन के साफ–सफाई की व्यवस्था से अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा नालियों की नियमित सफाई हेतु निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों द्वारा सम्बन्धित सुपरवाईजर एवं सेनिटेशन स्टाफ के नियमित न आने की शिकायत गई, जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित सुपरवाईजर एवं सेनिटेशन इंस्पेक्टर की 1 सप्ताह का वेतन काटे जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टी देने एवं सहायक परियोजना अभियन्ता को लिखित चेतावनी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जोनल रोड नं0 8 पर सैक्टर–21 व 21ए के मध्य ड्रेन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा ड्रेन के साथ निर्मित दीवार को सुरक्षा के दृष्टिगत मरम्मत कराये जाने हेतु अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को उक्त कार्य की ड्राईंग, आवश्यक मदों का प्रावधान करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व व्यक्तिगत रूप से वार्ता किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इस प्रकार की अन्य सभी ड्रेन के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित खण्डों द्वारा समीक्षा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत की गई वॉल पेन्टिंग यथा– सैक्टर–14 व 15 के मध्य शहदरा ड्रेन पुल की पैरापिट वॉल पर बनी पेन्टिंग, डी.एल.एफ. मॉल, उद्योग मार्ग पर प्राधिकरण कार्यलय की ओर सम्प की दीवार, गोल्फ कोर्स की दीवार, सैक्टर–11 में विद्युत विभाग के कार्यालय की दीवार एवं अन्य विभिन्न स्थानों पर की गई वॉल पेन्टिंग धूमिल हो गई है, जिसको पुनः पेन्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जगह–जगह विभिन्न दीवारों पर विभिन्न कम्पनीयों/व्यक्तियों द्वारा प्रचार सामग्री, पोस्टर/बैनर/पम्पलेट, मोबाईल नम्बर इत्यादि पाये गये, जिसको हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा भविष्य में ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्रचार में दिये गये पता, मोबाईल नम्बर अथवा अन्य आधार एफ.आई.आर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सैक्टर–82 में एक शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उद्यान विभाग के कर्मियों द्वारा सेन्ट्रल वर्ज में लगे पेड़ों की सिंचाई हेतु गंदे नाले से पानी भर कर सिंचाई की जा रही है, इस सम्बन्ध महोदया द्वारा प्रकरण की जांच कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सैक्टर–44 में स्थापित पिंक वेन्डिंग जोन का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया उक्त वेण्डिंग जोन समुचित स्थान पर नहीं है तथा वहां पर ग्राहकों का आवागमन भी नहीं है, जिससे वेन्डर्स को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तद्नुसार उक्त वेण्डिंग जोन को शिफ्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अनुरक्षण से सम्बन्धित अन्य निर्देश भी दिये गये, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. सैक्टर–14ए से उद्योग मार्ग पर बायें मुड़ते समय सैक्टर–14ए के कॉर्नर पर फुटपाथ पर रखे गये गमलों में पेड़ अत्यधिक छोटे हैं तथा कुछ गमलों में पौधे अनुपलब्ध हैं, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा गमलों में पेड़ लगाने एवं उनका नियमित रूप से अनुरक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. उद्योग मार्ग पर सैक्टर–14 पेट्रोल पम्प के सामने फुटपाथ की टाईल उखड़ी पड़ी हैं, जिसको ठीक किये जाने एवं फुटपाथ के कॉर्नर पर हुई टूट–फूट को ठीक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. जगह–जगह पेड़ों के चारों ओर ईंटों से की गई चिनाई पर टेराकोटा की पेन्टिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
4. इण्डियन ऑयल क्रॉसिंग पर सैक्टर–1 के कोने पर लगे संकेतक बोर्ड पर पोस्टर/पम्पलेट चिपके हुए पाये गये, जिसको हटाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. सैक्टर–1 में मदरसन सूमी के सामने जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया बोर्ड अत्यधिक गंदा हो गया है तथा काफी मात्रा में पोस्टर/पम्पलेट चिपके पाये गये, जिस पर महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा उक्त बोर्ड को पुनः पेन्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया।
6. एम.पी.–1 रोड पर विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ एवं साईड पटरी एवं सभी कॉर्नरों की स्थिति ठीक नहीं पाई गई, जिस हेतु फुटपाथ व पटरी की मरम्मत तथा सभी कॉर्नर को विशेष रूप से ध्यान देते हुए ठीक कराया जाये।
7. जगह–जगह विभिन्न विभागों यथा– सिविल, जनस्वास्थ्य, जल, विद्युत/यॉंत्रिकी द्वारा लगाये गये साईनेज बोर्ड पर विभिन्न प्रचार सामग्री यथा पोस्टर/पम्पलेट को तत्काल हटवाया जाये।
8. एम.पी.–1 मार्ग पर एन.टी.सी. द्वारा निर्मित यू–टर्न के आईलैण्ड में मिट्टी नहीं भरी गई है, जिसके कारण उक्त आईलैण्ड्स में कचरा इकट्ठा हो रहा है। साथ ही उक्त मार्ग पर कई स्थानों पर साईड ग्रीन बेल्ट एवं सैन्ट्रल वर्ज में लगे पेड़ों की दशा ठीक नहीं पाई गई। पानी का छिड़काव समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग को मिट्टी भरने की कार्यवाही किये जाने एवं तीन दिनों में ग्रीन बेल्ट को ठीक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
9. एम.पी.–1 मार्ग पर निर्मित विभिन्न कम्पनियों के शोरूम/सर्विस सेन्टर/वर्क शॉप इत्यादि द्वारा मिक्स लैण्ड यूज के आधार आवंटित पार्किंग स्पेस से अधिक स्थल पर पार्किंग की जा रही है, जिस हेतु सम्बन्धित इकाई को नोटिस दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद भी यदि इकाई द्वारा ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित इकाई पर पेनल्टी लगायी जाये।
10. सैक्टर–25ए व 22 के मध्य अगाहपुर रोड पर सैक्टर–22 की ओर फुटपाथ की ग्रिल एवं टाईल क्षतिग्रस्त पायी गई, जिसको ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
11. एम.पी.–2 पर सैक्टर–27 की ओर ग्रीन बेल्ट में कुछ लोग झुग्गी–झोपड़ी बनाकर बसे हुए पाये गये, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा उक्त झुग्गीयों को 3 दिन में हटाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर एलिवेटेड रोड के नीचे पिलर्स पर पूर्व में की गई थीम पेन्टिंग धूमिल हो रही है, जिसको ठीक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त मार्ग पर ग्रीन बेल्ट का अनुरक्षण सन्तोषजनक नहीं

पाया गया। अतः ग्रीन बेल्ट को और अच्छे ढंग से अनुरक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

12. सैक्टर–44 में सोम–बाजार वाले रोड पर निर्मित सेन्ट्रल वर्ज में मिट्टी की भराई नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त मार्ग पर सब्जी वाले वेण्डर्स एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सेन्ट्रल वर्ज में कूड़ा इत्यादि डाल दिया जाता है, जिसके दृष्टिगत सेन्ट्रल वर्ज में मिट्टी भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
13. सैक्टर–44 वाली रोड पर निर्मित सी. एण्ड डी. वेस्ट प्लान्ट के आगे ग्रुप हाउसिंग के सामने फुटपाथ/पटरी क्षतिग्रस्त पाये गये तथा सैक्टर–45 में फुटपाथ जगह–जगह टूटे हुए पाये गये, जिसको ठीक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विदित हो कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2022–23 में प्रतिभाग किया गया, जिसके दृष्टिगत नौएडा को स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वोत्तम प्रतियोगिता दिलाये जाने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा नौएडा शहर का भ्रमण किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को शहर को स्वच्छ बनाये रखने, सौन्दर्यीकृत रखने एवं भली–भांति से अनुरक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।